राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक 09.12.2020

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.05.2015, जिसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 9 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत स्थापित राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 में विनिर्दिष्ट राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का उपयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिये राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के रूप में अभिहित किया गया था, को तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है |

एफ 13 (10)(4) खा.वि./खा.सु.अ./2014
राज्यपाल की आज्ञा से,

9/12/2020

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

एफ 13 (10)(4) खा.वि./खा.सु.अ./2014 जयपुर, दिनांक 09.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर |
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर |
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान |
4. निजी सचिव, वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर |
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. समस्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कराया जाकर प्रति विभाग को भिजवावें।
10. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. रक्षा पत्रिका।

9/12/2020

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव